रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-28032022-234569
CG-HR-E-28032022-234569

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2022/चैत्र 7, 1944
No. 162] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2022/ CHAITRA 7, 1944

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 24 मार्च, 2022

गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(नवीकरणीय ऊर्जा की उपाप्ति) (चौथा संशोधन), विनियम 2022

सं. जेईआरसी-14/2010.— विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 66, 86(1)(ड.) और 181 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) ने "नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद विनियम, 2010" बनाया, जिसे इसके बाद 19 फरवरी 2014 के पहले संशोधन के साथ "मूल विनियम" (30 नवंबर 2010 को अधिसूचित) के रूप में संदर्भित किया गया; द्वितीय संशोधन 22 दिसम्बर 2015 तथा तृतीय संशोधन 22 अगस्त 2016 को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के विकास तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा खरीद के लिए किया गया।

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना**

(i) इन विनियमों को गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा की उपाप्ति) (चौथा संशोधन), विनियम 2022 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(iii) ये विनियम संपूर्ण गोवा राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में बाध्य कंपनियों पर लागू होंगे।

2. **मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन**

(i) निम्नलिखित परिभाषाएं मूल विनियम के विनियम 2 में जोड़ी जाएंगी:

क. "(ञ) हाइड्रो क्रय बाध्यता (एचपीओ)" का अर्थ है 08.03.2019 को और उसके बाद और 31.03.2030 तक चालू की गई बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली क्रय बाध्यता; को "(झ) आधार मूल्य और वहनीय मूल्य" ***की परिभाषा के बाद*** और "(ञ) अंतर-संयोजन सुविधाएं" ***की परिभाषा से पहले जोड़ा जाएगा।***

ख. "(ड) बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं (एलएचपी)" का अर्थ है 25 मेगावाट से ऊपर की स्थापित क्षमता वाली पंप भंडारण परियोजना सहित जल विद्युत स्टेशन, जो 08.03.2019 के बाद और 31.03.2030 तक वाणिज्यिक रूप से चालू हुई थीं;" को "(ट) अंतर-संयोजन स्थान" ***के बाद और*** "(ड) अनुज्ञप्तिधारी" ***की परिभाषा के पहले जोड़ा जाएगा।***

(ii) "नवीकरणीय मिश्रित ऊर्जा और भंडारण सहित नवीकरणीय ऊर्जा" शब्द खंड (न) के अंत में ***जोड़े जाएंगे।***

3. तदनुसार, (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ), (ण), (त), (थ), (द), (ध), (न), (प) की संख्या को बदलकर (ट), (ठ), (ड), (ढ), (ण), (त), (थ), (द), (ध), (न), (प), (प), (ब) लिखा जाएगा।

4. **मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन**

(क) खंड 3.1 में "तालिका 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार" शब्दों के बाद और "नीचे", शब्द से पहले **"और तालिका 1(क)"** ***जोड़ा जाएगा।***

(ख) तालिका के पहले खंड 3.1 में, "और तालिका 1(क)" शब्द "निश्चित न्यूनतम प्रतिशत नीचे तालिका-1 में दिए गए हैं**"** ***पंक्ति के अंत में जोड़े जाएंगे।***

(ग) नीचे तालिका-1 के प्रावधान, "बशर्ते कि कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट अनुसार सौर द्वारा अक्षय ऊर्जा क्रय बाध्यता को केवल सौर स्रोतों पर आधारित उत्पादन से ही पूरा किया जाएगा" ***का लोप किया जाएगा।***

(घ) "तालिका-1(क)" नामक निम्नलिखित तालिका को **मूल विनियमों की** "तालिका-1" में ***जोड़ा जाएगा:***

तालिका 1(क)

वर्ष		**नवीकरणीय ऊर्जा की नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) की न्यूनतम मात्रा (कि.वाट में)**			
	सौर आरपीओ	गैर-सौर आरपीओ			कुल आरपीओ
		एचपीओ	अन्य गैर-सौर आरपीओ	कुल गैर-सौर आरपीओ	
2022-23	9.00%	0.35%	9.00%	9.35%	18.35%
2023-24	10.00%	0.66%	9.25%	9.91%	19.91%

2024-25	11.00%	1.08%	9.50%	10.58%	21.58%
2025-26	12.00%	1.48%	9.75%	11.23%	23.23%
2026-27	13.00%	1.80%	10.20%	12.00%	25.00%

(ङ.) तालिका 1(क) के अंत में, निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएंगे:

- "(3.2) आरपीओ की जल स्रोतों (एलएचपी) से पूरी की जाने वाली खपत को छोड़कर बिजली की कुल खपत के प्रतिशत के रूप में ऊर्जा के संदर्भ में गणना की जाएगी।"
- "(3.3) सोलर आरपीओ की पूर्ति सौर ऊर्जा संयंत्रों- सोलर फोटो वोल्टाइक और सोलर थर्मल से उत्पादित बिजली से की जा सकती है।"
- "(3.4) अन्य गैर-सौर आरपीओ (एचपीओ को छोड़कर) को सौर और एलएचपी के अलावा किसी भी नवीकरणीय स्रोत से पूरा किया जा सकता है।"

(च) उपर्युक्त नए जोड़े गए खंड (3.4) के बाद निम्नलिखित प्रावधान ***जोड़े जाएंगे,***

"[बशर्ते कि 85% और उससे अधिक की सीमा तक सौर आरपीओ अनुपालन की प्राप्त करने पर, शेष कमी, यदि कोई हो, उस विशेष वर्ष के लिए निर्दिष्ट गैर-सौर आरपीओ से अधिक खपत की गई गैर-सौर ऊर्जा से पूरी की जा सकती है। इसी प्रकार, 85% और उससे अधिक की सीमा तक अन्य गैर-सौर आरपीओ अनुपालन प्राप्त करने पर, शेष कमी यदि कोई हो, उस विशेष वर्ष के लिए निर्दिष्ट सौर आरपीओ या एचपीओ से अधिक खपत सौर या पात्र जल ऊर्जा द्वारा पूरी की जा सकती है। इसके अलावा, 85% और उससे अधिक की सीमा तक एचपीओ अनुपालन प्राप्त करने पर, शेष कमी, यदि कोई हो, उस विशेष वर्ष के लिए निर्दिष्ट सौर आरपीओ या अन्य गैर-सौर आरपीओ से अधिक खपत सौर या अन्य गैर-सौर ऊर्जा से पूरी की जा सकती है।]"

आगे बशर्ते कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त वास्तविक आरपीओ या एचपीओ बिजली आरपीओ अनुपालन की अन्य श्रेणी में कमी के समायोजन के बाद अधिशेष छोड़ दिया जाता है, तो उसे संबंधित आरपीओ या एचपीओ लक्ष्यों के अगले वर्ष तक ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

(छ) "और तालिका 1(क)" शब्दों को "अक्षय स्रोतों से बिजली की खरीद" के साथ शुरू होने वाले प्रावधान की अंतिम पंक्ति में ***जोड़ा जाएगा।***

(ज) निम्नलिखित प्रावधान "बशर्ते आगे यह कि अक्षय स्रोतों से बिजली की खरीद" के साथ शुरू होने वाले प्रावधान के बाद जोड़ा जाएगा:

"बशर्ते कि द्वीप क्षेत्रों अर्थात् लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार के लिए, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अनुसार वर्ष के कुल आरपीओ लक्ष्य का अनुपालन करके आरपीओ बाध्यता का भी पालन किया जा सकता है चाहे वह किसी भी श्रेणी में हो"

(झ) खंड (3.2) संख्या "खंड (3.5)" के रूप में दोबारा लिखी जाएगी।

(ञ) "खंड (3.5)" के बाद निम्नलिखित नए खंड ***जोड़े जाएंगे:***

क) "(3.6) एचपीओ लाभ 08.03.2019 को और उसके बाद और 31.03.2030 तक चालू होने की तारीख से 12 वर्षों की अवधि के लिए कुल सृजित क्षमता के 70% के संबंध में कमीशन योग्य एलएचपी से प्राप्त बिजली से प्राप्त किया जा सकता है। राज्य सरकार के साथ समझौते के अनुसार मुफ्त बिजली प्रदान की जानी चाहिए और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) के प्रावधान को कुल सृजित क्षमता के 70% की इस सीमा के भीतर शामिल नहीं किया जाएगा।"

ख) "(3.7) डिस्कॉम की एचपीओ देयता 08.03.2019 के बाद चालू एलएचपी से एलएडीएफ के योगदान को छोड़कर उस समय के समझौते के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र/राज्य को प्रदान की जा रही मुफ्त बिजली से पूरी की जा सकती है, यदि इसकी खपत संघ राज्य क्षेत्र/डिस्कॉम के भीतर होती है। संघ राज्य क्षेत्र/डिस्कॉम की एचपीओ देयता की सीमा तक मुफ्त बिजली (स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए योगदान नहीं) एचपीओ लाभ के लिए पात्र होगी।"

ग) "(3.8) यदि ऊपर दी गई मुफ्त बिजली, एचपीओ बाध्यता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, तो संघ राज्य क्षेत्र/राज्य को अपनी एचपीओ बाध्यताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त हाइड्रो पावर खरीदनी होगी या गैर-सौर पनबिजली नवीकरणीय क्रय बाध्यता को पूरा करने के लिए हाइड्रो ऊर्जा प्रमाण-पत्र (एचईसी) की इसी राशि को खरीदना पड़ सकता है।

घ) "(3.9) यदि किसी भी वर्ष के लिए आरपीओ आयोग द्वारा निर्दिष्ट नहीं है, तो पिछले वर्ष के लिए निर्दिष्ट आरपीओ, निर्दिष्ट अवधि के बाद भी जारी रहेगा जब तक कि इस संबंध में आयोग द्वारा कोई संशोधन नहीं कर दिया जाता है।"

ङ.) (3.10) यदि कोई कंपनी एचपीओ लक्ष्यों का अनुपालन न किए जाने के लिए आयोग से संपर्क करती है, तो आयोग मामला दर मामला आधार पर कंपनी द्वारा मामले के प्रदर्शन के आधार पर इसमें छूट दे सकता है।

5. मूल विनियमों के विनियम 4 में संशोधन

क) खंड 4.2 में, "और उसके बाद किए गए संशोधन" शब्द "विनियम, 2010" शब्दों के बाद जोड़े जाएंगे।

ख) निम्नलिखित नया खंड **जोड़ा जाएगा:**

"(4.4) सीईआरसी द्वारा विकसित हाइड्रो ऊर्जा प्रमाणपत्र (एचईसी) प्रणाली से संबंधित विनियम और उसके बाद किए गए संशोधन एचपीओ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लागू होंगे।"

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./715/2021-22]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Gurugram, the 24th March, 2022

Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Procurement of Renewable Energy) (Fourth Amendment) Regulations, 2022

No. JERC-14/2010.—In exercise of powers conferred under sections 61, 66, 86 (1) (e) and 181 of the Electricity Act, 2003 and all powers enabling it in this behalf, Joint Electricity Regulatory Commission (for state of Goa & Union Territories) made the “Procurement of Renewable Energy Regulations, 2010”, hereinafter referred to as the “Principal Regulations” (Notified on 30th November 2010) along with the first amendment of 19th February 2014; second amendment of 22nd December 2015 and third amendment of 22nd August 2016 for the development of power generation from renewable energy sources and for procurement of energy from renewable sources by distribution licensee.

1. Short title, commencement and extent of application

(i) These regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (Procurement of Renewable Energy) (Fourth Amendment), Regulations 2022.

(ii) These Regulations shall come into force from the date of their publication on the Official Gazette.

(iii) These Regulations shall extend and apply to the obligated entities in the whole of the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry.

2. Amendment in Regulation 2 of principal regulation

(i) The following definitions shall be added in Regulation 2 of the Principal Regulation

a. "(j) Hydro Purchase Obligation (HPO)" means obligation to procure power from large hydropower projects commissioned on and after 08.03.2019 and upto 31.03.2030;" ***shall be added after the definition*** of "(i) Floor Price and Forbearance Price"***and before the definition*** of "(j) Interconnection facilities"

b. "(m) Large Hydro Projects (LHP)" means hydel power station including pumped storage project with an installed capacity above 25 MW, which came into commercial operation after 08.03.2019 and upto 31.03.2030;" ***shall be added after*** "(k) Interconnection point"**and before the definition of** "(m) Licensee"

(ii) The words ",renewable hybrid energy and renewable energy with storage" ***shall be added*** to the end of clause (t).

3. Accordingly, (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u) ***are renumbered as*** (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t),(u), (v), (w).

4. Amendment in Regulation 3 of the Principal regulation

(a) In clause 3.1after the words"As specified in Table 1"and before the word "below", **"and Table 1(a)"** ***shall be added.***

(b) In clause 3.1 before the table, the words "and Table 1(a)" ***shall be added at the end of the line*** **"**The defined minimum percentages are given below in the Table-1".

(c) The provision below Table 1, "Provided that the Renewable Purchase Obligation from solar as specified in Column 3 shall be fulfilled from the generation based on solar sources only" ***shall be deleted.***

(d) The following table named "Table1(a)"***shall be added*** to the "Table-1" of the **principal regulation:**

Table 1(a)

Year		**Minimum quantum of Renewable purchase obligation (RPO) of renewable energy (in kWh)**			
	Solar RPO	Non-Solar RPO			Total RPO
		HPO	Other Non-Solar RPO	Total Non-Solar RPO	
2022-23	9.00%	0.35%	9.00%	9.35%	18.35%
2023-24	10.00%	0.66%	9.25%	9.91%	19.91%
2024-25	11.00%	1.08%	9.50%	10.58%	21.58%
2025-26	12.00%	1.48%	9.75%	11.23%	23.23%
2026-27	13.00%	1.80%	10.20%	12.00%	25.00%

(e) At the end of Table 1(a), the following new clauses shall be added:

- "(3.2) RPO to be calculated in energy terms as a percentage of total consumption of electricity excluding consumption met from hydro sources (LHPs)."
- "(3.3) Solar RPO may be met by power produced from solar power plants- solar photo voltaic and solar thermal."
- "(3.4) Other Non-Solar RPO (excluding HPO), may be met from any renewable source other than solar and LHPs."

(f) The Following provisions ***shall be added*** after the newly added Clause (3.4) above,

"[Provided that on achievement of Solar RPO compliance to the extent of 85% and above, remaining shortfall, if any, can be met by excess non-solar energy consumed beyond specified Non-Solar RPO for that particular year. Similarly, on achievement of Other Non-Solar RPO compliance to the extent of 85% and above, remaining shortfall if any, can be met by excess solar or eligible hydro energy consumed beyond specified Solar RPO or HPO for that particular year. Further, on achievement of HPO compliance to the extent of 85% and above, remaining shortfall, if any, can be met by excess solar or other non-solar energy consumed beyond specified Solar RPO or Other Non-Solar RPO for that particular year.]"

Further provided that in case physical RPO or HPO power procured during a financial year is left surplus after adjustment of shortfall in other category of RPO compliance, the same may be allowed as carried forward to the next year of respective RPO or HPO targets.

(g) The words "and Table 1(a)" ***shall be added*** to the last line of the proviso starting with "Provided further that the power purchase from renewable sources".

(h) The following provision shall be added after the proviso starting with "Provided further that the power purchase from renewable sources":

"Provided further that for the island territories i.e Lakshadweep and Andaman & Nicobar, the RPO obligation can also be complied by complying with the Total RPO target of the year as specified by the Commission irrespective of the category"

(i) The Clause (3.2) ***shall be renumbered*** as "Clause (3.5)".

(j) The following new clauses ***shall be added*** after "Clause (3.5)":

a) "(3.6) HPO benefits may be met from the power procured from eligible LHPs commissioned on and after 08.03.2019 and upto 31.03.2030 in respect of 70% of the total generated capacity for a period of 12 years from the date of commissioning. Free power is to be provided as per agreement with the State Government and that provided for Local Area Development Fund (LADF), shall not be included within this limit of 70% of the total generated capacity."

b) "(3.7) HPO liability of the DISCOM could be met out of the free power being provided to the UT/State from LHPs commissioned after 08.03.2019 as per agreement at that point of time excluding the contribution towards LADF if consumed within the UT/DISCOM. Free power (not that contributed for Local Area Development) only to extent of HPO liability of the UT/DISCOM, shall be eligible for HPO benefit."

c) "(3.8) In case the free power, as above, is insufficient to meet the HPO obligations, then the UT/State have to buy the additional hydro power to meet its HPO obligations or may have to buy the corresponding amount of Hydro Energy Certificate (HEC) to meet the non-solar hydro renewable purchase obligations."

d) "(3.9) If the RPO for any of the year is not specified by the Commission, the RPO specified for the previous year shall be continued beyond the specified period till any revision is made by the Commission in this regard."

e) (3.10) If any entity approaches the Commission for non-compliance of HPO targets, the Commission on case to case basis upon demonstration of the issue by the entity may relax the same.

5. Amendment in Regulation 4 of the Principal regulation

(a) In Clause 4.2, the words "and its subsequent amendments thereafter" shall be added after the words "Regulations, 2010".

(b) The following new clause **shall be added:**

"(4.4) The regulations related to the Hydro Energy Certificate (HEC) mechanism developed by CERC and its subsequent amendments thereafter shall be applicable for ensuring HPO compliance."

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./715/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.